न्यायालय उपजिलाधिकारी मऊरानीपुर, झाँसी

दिनांक : 29/02/22

पत्रांक सं. : उ०प्र० वि० 0936/2022

नकल आदेश - प्रा०पत्र०- 29/02/22

भूमि उपयोग प्रमाण पत्र

तहसीलदार मऊरानीपुर की आख्या दिनांक 04.02.2022 एवं राजस्व अभिलेखों के अनुसार प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम–रेवन, परगना व तहसील–मऊरानीपुर, जनपद–झाँसी की खतौनी सन् सन् 1420 फ0 लगायत 1425 फ0 के खाता संख्या 115 के गाटा संख्या 394 रकबा 1.724 हे0 भूमि महाचरन मेमोरियल एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट ट्रस्ट के नाम भू–राजस्व अभिलेखों में आकृषिक भूमि अंकित है। महाचरन मेमोरियल एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट ट्रस्ट, उक्त भूमि का मालिक एवं काबिज है।

न्यायालय असि0 कले0 प्रथम/उपजिलाधिकारी मऊरानीपुर ने वाद संख्या–036/2022 आदेश दिनांक 29.02.2022 अन्तर्गत धारा 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता द्वारा उक्त भूमि को कृषिक भूमि से आकृषिक भूमि घोषित किया है। उक्त भूमि पर शिक्षण संस्थान का भवन निर्मित है एवं खेल का मैदान स्थित है।

उक्त भूमि का प्रयोग शैक्षिक कार्यों के लिए किया जा सकता है जो धारा 80 (उ0प्र0 राजस्व संहिता) के अनुसार विधिमान्य है।

न्यायालय परगनामजिस्ट्रेट मऊरानीपुर (झाँसी)

प्रतिलिपि कर्ता .....फोटोकापी.....
मिलान कर्ता .....
कोर्ट फीस चस्पा ..... 7 कष .....
अनुमानित शब्द ..... 700 .....

उप जिलाधिकारी
मऊरानीपुर, झाँसी
उपजिलाधिकारी
मऊरानीपुर, झाँसी (उ0प्र)

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार
परगनाधिकारी/परगनामजिस्ट्रेट
मऊरानीपुर (झाँसी)

प्रार्थना पत्र सं. व दिनाँक 28/02/22
...टिस बोर्ड का दिनाँक 29/02/22
...देने का दिनाँक 29/02/22

Scanned with CamScanner